म्बर व तारीख हकाम जो इस कम की तामील में जारी हुए

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अभिभाषक उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। जिसमें प्रतिवादीगण सं. 2, 4 ता 6 पर विधिवत तामील हो चुकी है। प्रतिवादी सं. 1 व 3 कि ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित आकर इकबाली जवाब दावा पेश किया। विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष से बहस सुनी गई। उपरोक्त अवलोकन व बहस मनन के उपरांन्त पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा व उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ के पत्रांक/2167/भू.अ./2017 दिनांक 06. जुलाई, .2017 के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा मुताबिक वाद अनुरूप है, सही प्रतीत होता है। प्रस्ताव न्यायालय के प्राथमिक डिक्री व रिकार्ड के अनुसार ही होना प्रकट होता है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाता है। अतः प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी मूल खसरा सं. 179 रकबा 9.22 हैक्टेयर जिसके अलग-अलग आराजी खसरा सं. 179/1 रकबा 1.62 हैक्टर, खसरा नम्बर 179/2 रकबा 1.4900 हैक्टर, खसरा नम्बर 179/3 रकबा 0.96 हैक्टर, खसरा नम्बर 179/4 रकबा 2.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 179/5 रकबा 1.85 हैक्टर व खसरा नम्बर 179/6 रकबा 1.24 हैक्टर वाके ग्राम बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर में निम्नानुसार विभाजन किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी में दर्ज करने के आदेश दिये जाते है–

खातेदार का नाम	खसरा सं.	रकबा
1. बनवारी पुत्र घड़सीराम जाति जाट सा. माधोपुरा (राहिन रकबा 5.24 है. बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाखा बलारां मूर्तहीन)	179 मी. 179 मी.	4.23 हैक्टेयर 2.02 हैक्टेयर
	किता 2	6.25 हैक्टेयर
2. शैतान पुत्र हीरा जाति जाट सा. माधोपुरा	179 मी.	1.68 हैक्टेयर
3. हरलाल रामदेवा पि. दीपा सोना सिणगारी केशर पुत्रीयां दीपा हि.ब. जाति जाट सा. माधोपुरा	179 मी.	1.29 हैक्टेयर

उपरोक्त विभाजन में दावा में प्रस्तुत दीपा पुत्र किसना के वारिस प्रमाण पत्र के अनुसार उनके विधिक वारिसान पुत्रों के अलावा उनकी पुत्रियां सोना सिणगारी केशर वाद में पक्षकार संयोजित नहीं थी परन्तु उनको भी समाहित कर विभाजन किया गया है। तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में प्रदर्शित अलग-अलग खसरान को अलग-अलग वर्णित रंगों के अनुसार हिस्से अनुसार बट्टा नम्बर कायम की कार्यवाही की जाकर उपरोक्तानुसार अलग-अलग लगान कायम कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात किया जावें। रहन यथावत रहेगा। अतः उपरोक्तानुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राजात हेतु तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हाकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)